



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ***

#OperationConviction

दिनांक-22.04.2026

थाना शमसाबाद

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त प्रेम उर्फ मुनेन्द्र पुत्र स्व० रामबाबू उर्फ बाबूराम निवासी दतौली थाना जैथरा जनपद एटा मु०अ०स०- 301/2016 वाद संख्या 79/2017 धारा 363,366,376 भादवि० व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय स्पेशल जज व पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 22.04.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 40000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेजी सिंह कुमार



एडीजीसी - श्री विकास कटियार



को० मो० मा० का० प्राची



पैरोकार - हे० का० राजेश कुमार